

प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की बैठक दिनांक 25.04.2022 का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

- (1) डा० रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन।
- (2) सुश्री यशु रूस्तगी, निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (3) डा० अरविन्द कुमार चौरसिया, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (4) श्री पंकज सक्सेना, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- (5) डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन।
- (6) श्री लालू, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन।
- (7) श्री रवि शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन
- (8) श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
- (9) श्री बलवीर सिंह लुथरा, डी०जी०एम०, एस०एल०बी०सी०।
- (10) श्री बृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, बैंक आफ बड़ौदा।
- (11) श्री ए०के० मिश्र, नगर नियोजक, टी०सी०पी०डी०।

निदेशक, सूडा/मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप—समिति द्वारा दिनांक 08.12.2021, 08.04.2022 एवं 23.04.2022 को आहूत बैठकों में क्रमशः बी०एल०सी० घटक की 1288 परियोजनाओं की द्वितीय/तृतीय विजिट की ए०टी०आर०; बी०एल०सी० घटक की 217 परियोजनाओं की प्रथम विजिट की ए०टी०आर० एवं बी०एल०सी० घटक के 50,050 आवासों का करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण के सापेक्ष 57,770 नए आवासों की डीपीआर का अनुमोदन किया गया।

उप—समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिस पर विस्तृत विचार—विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:—

एजेण्डा—01:—दिनांक 10.09.2021 की बैठक में SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप—समिति द्वारा दिनांक 08.12.2021, 08.04.2022 एवं 23.04.2022 की बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों पर SLSMC की स्वीकृति

- 1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की तृतीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 22वीं से 46वीं सीएसएमसी तक स्वीकृत 201 परियोजनाओं में द्वितीय TPQMA विजिट तथा 1087 परियोजनाओं में तृतीय TPQMA विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी डूडा एवं इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राप्त आख्याओं के अनुसार तैयार की गयी 1288 परियोजनाओं की Action Taken Report उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक की परियोजनाओं में थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग (TPQM) एजेन्सी द्वारा किए गए निरीक्षण की आख्या में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है:-

टिप्पणियाँ (Observation)-

1. भवन निर्माण सामग्री स्थानीय विक्रेता से क्रय किए जाने के कारण परीक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।
2. भवनों को भूकम्परोधी बनाने के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है।
3. कतिपय लाभार्थियों द्वारा प्रशिक्षित मिस्त्री से निर्माण नहीं कराया जा रहा है।
4. सीवरेज प्रणाली उपलब्ध न होने के कारण कतिपय लाभार्थियों द्वारा आवास के अन्दर ही सैप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है।
5. अधिकतर आवासों में आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लास्टर का कार्य कराया जाना शेष है।
6. कुछ लाभार्थियों द्वारा विद्युतीकरण का कार्य असुरक्षित रूप से कराया जा रहा है।

निष्कर्ष-

1. निर्माण कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार कराया जा रहा है।
2. मुख्यतः निर्माण की गुणवत्ता सन्तोषजनक है, पायी गयी कुछ कमियों के सम्बन्ध में लाभार्थियों को अवगत करा दिया गया है।
3. निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण की आवश्यकता है।

टीपीक्यूएम रिपोर्ट में दर्शायी गयी सामान्य टिप्पणियों के निराकरण से सम्बन्धित अनुपालन आख्या परियोजना अधिकारी, डूडा एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से प्रेषित की गयी है।

यह भी अवगत कराया गया कि उक्त के अतिरिक्त टीपीक्यूएम एजेन्सी द्वारा विजिट में कतिपय परियोजनाओं के कुछ आवासों में विशिष्ट कमियां पायी गयीं, जिसकी सूची टीपीक्यूएम आख्या के साथ उपलब्ध करायी गयी है। ऐसी सभी आवासों का निरीक्षण भी परियोजना अधिकारी, डूडा एवं सी0एल0टी0सी0 इंजीनियर द्वारा किया गया तथा आख्या में उल्लिखित कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या संयुक्त हस्ताक्षर से प्रेषित की गयी है, जिसमें दर्शाये गये अनुपालन स्वीकार योग्य है।

यह भी अवगत कराया गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा अपनी भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अच्छे स्तर की निर्माण सामग्री का उपयोग एवं अत्यन्त सतर्कता के साथ भवन निर्माण करा रहे हैं। इस कारण

बी0एल0सी0 घटक में निर्मित होने वाले अधिकतर आवासों की गुणवत्ता उच्च स्तर की है। बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत 30 वर्ग मीटर के अधिकतर एक मंजिला अथवा दो मंजिला आवास ही निर्मित किये जा रहे हैं, जिनकी वर्किंग ड्राईंग लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जाती है। आवास निर्माण में लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेन्सी को नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा नियमित रूप से निर्मित हो रहे आवासों का अनुश्रवण किया जाता है, जिस कारण आवासों में गम्भीर तकनीकी त्रुटि की सम्भावना कम है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी उपरोक्त 1288 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

उप-समिति की बैठक दिनांक 08.04.2022 के निर्णय

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत 51वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 217 परियोजनाओं में प्रथम TPQMA विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी, डूडा एवं इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राप्त आख्याओं के अनुसार तैयार की गयी 217 परियोजनाओं की Action Taken Report समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।

उप-समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी उपरोक्त 217 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश दिये गये कि टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट में दर्शायी गयी सामान्य कमियों/टिप्पणियों के सम्बन्ध में मिशन निदेशालय स्तर से समस्त जिलाधिकारियों के लिए उप-समिति के दिशा-निर्देशानुसार एडवाइजरी जारी की जाये।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी उपरोक्त 217 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) के अनुमोदन पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा 39वीं CSMC में स्वीकृत 01 परियोजना में भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) की आख्या उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्राधिकरण का नाम	सीएसएमसी की सं० एवं तिथि	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या
1	झांसी विकास प्राधिकरण	39वी/30.10.2018	सिमराहा (मै० सुरेन्द्र राय)	480

उप-समिति द्वारा ए०टी०आर० का अनुमोदन इस निर्देश के साथ दिया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण में और अधिक सतर्कता बरती जाये।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी०पी०क्यू०एम० रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी उपरोक्त ए०टी०आर० हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

उप-समिति की बैठक दिनांक 23.04.2022 के निर्णय

1.4 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी.) घटक के अन्तर्गत 806 परियोजनाओं में 50,050 अपात्रों के अभ्यर्पण/कर्टलमेंट की डी०पी०आर० के अनुमोदन पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत 806 परियोजनाओं में 50,050 अपात्रों के Curtailment/अभ्यर्पण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा के हस्ताक्षरोपरान्त डीपीआर प्रेषित की गयी है। Curtailment/अभ्यर्पण के मुख्य कारण PMAY(U) की गाइड लाईन्स के अनुसार अपात्र (निकाय सीमा से बाहर/पक्का आवास), लाभार्थी का अन्य घटक में लाभ लेने हेतु पात्र/इच्छुक होना, लाभार्थी की भूमि विवादित अथवा भू-स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध न होना एवं लाभार्थी योजना में लाभ लेने का इच्छुक न होना अथवा अन्यत्र स्थान पर चले जाना है। जनपदों से प्राप्त उक्त प्रस्ताव उप-समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख में)						
घटक	परियोजनाओं की सं०	स्वीकृत आवास	पात्रों की सं०	अपात्रों की सं०	अभ्यर्पण से पूर्व परियोजना लागत	अभ्यर्पण पश्चात् परियोजना लागत
BLC(N)	645	264995	219856	45139	962140.645	798569.99
BLC(E)	161	20405	15494	4911	47007.889	35738.274
Total	806	285400	235350	50050	1009148.534	834308.264

(Amt. in lakh)							
S. No.	District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
BLC-N							
1	Agra	22	6793	5573	1220	22824.48	18725.28
2	Ambedkar Nagar	12	6359	5537	822	21347.03	18587.59
3	Amethi	7	3580	2960	620	12017.99	9936.65
4	Auraiya	4	566	418	148	1900.04	1403.32
5	Ayodhya	12	3690	3106	584	12387.25	10426.78
6	Azamgarh	21	3641	2845	796	12233.76	9559.20
7	Baghpat	6	2179	1625	554	8298.21	6188.42
8	Bahraich	13	5968	4865	1103	22678.40	18487.00
9	Balrampur	21	2469	2092	377	9382.20	7949.60
10	Barabanki	16	4492	3943	549	15079.54	13236.57
11	Bareilly	16	3642	3085	557	13839.60	11722.73

(Amt. in lakh)

S. No.	District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	Old Project Cost	New Project Cost
12	Basti	4	2619	2261	358	9952.20	8591.80
13	Bhadohi	14	5204	4507	697	19775.20	17126.60
14	Bijnor	21	4159	3121	1038	15803.90	11859.80
15	Budaun	2	830	802	28	3154.00	3047.60
16	Bulandshahr	48	26086	21043	5043	99342.52	80137.42
17	Chandauli	7	3376	2749	627	11343.36	9236.64
18	Chitrakoot	6	1032	951	81	3467.52	3195.36
19	Deoria	29	11892	10232	1660	45189.60	38881.60
20	Farrukhabad	8	2547	2289	258	8550.22	7684.13
21	Firozabad	34	25076	18408	6668	84255.86	61850.88
22	GB Nagar	6	620	501	119	2361.12	1907.95
23	Gorakhpur	15	7853	6948	905	29841.40	26402.40
24	Hamirpur	6	4423	3443	980	16807.40	13083.40
25	Hapur	8	2013	1805	208	7666.17	6874.02
26	Hardoi	26	5546	5250	296	18617.77	17624.09
27	Jalaun	2	4169	3035	1134	15876.67	11558.09
28	Jaunpur	9	2041	1568	473	6857.76	5268.48
29	Jhansi	28	10676	9353	1323	40657.55	35619.13
30	Kannauj	8	1479	1314	165	4964.97	4411.08
31	Kanpur Dehat	5	1410	1099	311	4733.35	3689.33
32	Kanpur Nagar	7	5770	4785	985	19369.76	16063.16
33	Kasganj	7	645	540	105	2451.00	2052.00
34	Kaushambi	10	4518	4085	433	15166.83	13713.24
35	Kushinagar	9	10444	9526	918	39687.20	36198.80
36	Lakhimpur Kheri	13	4619	4251	368	15695.38	14457.74
37	Lucknow	6	2290	1808	482	7687.48	6069.42
38	Maharajgang	1	417	403	14	1584.60	1531.40
39	Mathura	34	3586	2926	660	13626.80	11118.80
40	Mau	9	3181	2933	248	10688.16	9854.88
41	Mirzapur	2	176	155	21	668.80	589.00
42	Moradabad	8	13378	10528	2850	50836.40	40006.40
43	Muzaffarnagar	12	2686	2174	512	10229.00	8279.16
44	Pratapgarh	2	615	413	202	2064.54	1386.43
45	Prayagraj	5	2917	2367	550	9792.30	7945.97
46	Raebareli	5	1597	1323	274	5361.09	4441.29
47	Sambhal	5	1490	1315	175	5662.00	4997.00
48	Sant Kabir Nagar	17	15061	11972	3089	57231.80	45493.60
49	Shahjahanpur	23	7428	6792	636	28226.40	25809.60
50	Shrawasti	10	5283	4487	796	20075.40	17050.60
51	Siddharthnagar	9	4822	4220	602	18323.60	16036.00
52	Sitapur	2	2503	2203	300	8402.52	7395.43
53	Sonbhadra	5	1921	1447	474	7299.80	5498.60
54	Unnao	8	3218	2475	743	10802.75	8308.53
	BLC-N Total	645	264995	219856	45139	962140.65	798569.99
	BLC-E						
1	Agra	6	413	244	169	934.81	552.94
2	Ambedkar Nagar	1	15	8	7	38.01	20.27
3	Amethi	4	812	710	102	2057.34	1798.91
4	Auraiya	1	216	154	62	495.83	368.84
5	Ayodhya	3	208	172	36	485.99	401.29
6	Azamgarh	3	187	151	36	415.21	336.84
7	Bahraich	8	1309	849	460	3154.02	2056.06
8	Balrampur	3	105	81	24	258.70	199.57

S. No.	District	No of Project	Sanctioned DU's	Patra	Apatra	(Amt. in lakh)	
						Old Project Cost	New Project Cost
9	Barabanki	6	89	63	26	217.01	156.45
10	Bareilly	5	69	43	26	168.54	105.46
11	Basti	1	102	82	20	251.30	202.03
12	Bijnor	2	361	282	79	813.28	637.82
13	Budaun	1	64	60	4	155.27	145.90
14	Bulandshahr	9	919	615	304	2120.22	1424.97
15	Chandauli	2	275	0	275	648.08	0.00
16	Deoria	7	1320	982	338	3104.63	2311.75
17	Farrukhabad	3	223	181	42	552.23	450.91
18	Firozabad	7	966	332	634	2034.02	744.66
19	GB Nagar	1	24	14	10	59.13	34.49
20	Hardoi	16	1574	1467	107	3988.03	3716.92
21	Jaunpur	2	261	169	92	604.19	394.32
22	Jhansi	7	557	470	87	1368.70	1154.33
23	Kannauj	2	46	38	8	89.62	73.04
24	Kasganj	8	503	278	225	1111.22	629.30
25	Kaushambi	1	42	40	2	102.12	97.36
26	Kushinagar	1	2985	2755	230	5527.95	5107.19
27	Lakhimpur Kheri	9	948	836	112	2270.34	2003.95
28	Lucknow	3	536	356	180	1241.48	821.29
29	Mathura	6	130	80	50	317.38	194.61
30	Mau	2	281	256	25	656.55	597.87
31	Mirzapur	3	322	274	48	793.33	675.07
32	Moradabad	1	1118	632	486	2743.16	1548.90
33	Prayagraj	2	171	129	42	433.26	326.85
34	Raebareli	2	215	174	41	544.74	440.86
35	Sambhal	1	39	35	4	96.09	86.23
36	Sant Kabir Nagar	8	1841	1576	265	4482.21	3840.16
37	Shahjahanpur	2	201	176	25	481.52	425.73
38	Shrawasti	5	208	164	44	494.20	394.51
39	Sitapur	3	493	417	76	1047.02	883.12
40	Unnao	4	257	149	108	651.16	377.51
	BLC-E Total	161	20405	15494	4911	47007.89	35738.28

अतः उपरोक्तानुसार बी०एल०सी० (नया) घटक के अन्तर्गत 54 जनपदों की 645 परियोजनाओं में 45,139 अपात्रों एवं बी०एल०सी० (विस्तार) घटक के अन्तर्गत 40 जनपदों की 161 परियोजनाओं में 4,911 अपात्रों, कुल 806 परियोजनाओं में 50,050 अपात्रों का Curtailment/अभ्यर्पण का उप-समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

निर्देश दिये गये कि जनपद फिरोजाबाद एवं संत कबीर नगर में जनसंख्या के अनुपात में अत्यधिक आवासों की स्वीकृति व करटेलमेन्ट के दृष्टिगत तत्कालीन परियोजना अधिकारी, झूडा की जाँच कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये। कतिपय अन्य जनपदों में भी अभ्यर्पण का अनुपात अधिक है। उन जनपदों में भी सम्बन्धित के विरुद्ध करटेलमेन्ट पालिसी में निर्धारित दण्ड के अनुरूप कार्यवाही की जाय।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त 806 परियोजनाओं में 50,050 अपात्रों के Curtailment/अभ्यर्पण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उप-समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में तत्कालीन परियोजना अधिकारी, फिरोजाबाद एवं संत कबीर नगर के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की

जाये। साथ ही कन्सलटेन्ट के विरुद्ध करटेलमेन्ट पॉलिसी के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि इसके पश्चात् भी यदि कन्सलटेन्ट द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये।

1.5 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया/विस्तार) घटक के अन्तर्गत 22 जनपदों की 86 परियोजनाओं में 60,007 आवासों के निर्माण हेतु डीपीआर के अनुमोदन पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नया) घटक के अन्तर्गत उप-समिति की विगत बैठक दिनांक 29.10.2021 में 20 जनपदों की 96 परियोजनाओं में 87415 आवासों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में उप-समिति द्वारा तत्समय तक प्राप्त कुल करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण के सापेक्ष 73,140 आवासों की स्वीकृति की गयी थी। शेष 14,275 आवासों की डीपीआर के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों से सभी लाभार्थियों की जांच शासनादेश सं०-568/69-1-2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के बिन्दु सं०-04 के अनुसार किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में 12,309 आवासों की परियोजना हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त हुए, जिसमें हमीरपुर जनपद की न०प० राठ एचएफए हेतु लक्षित शहरों में आच्छादित है, जिसकी 700 आवासों की 01 परियोजना 12,309 में सम्मिलित है।

इन परियोजनाओं में बी.एल.सी.-एन घटक की 12 परियोजनाओं में 11576 आवास व बी.एल.सी.-ई की 04 परियोजनाओं में 933 आवास, कुल 16 परियोजनाओं में 12,309 आवास सम्मिलित हैं।

अवगत कराया गया कि उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, झुंडा के हस्ताक्षरोपरान्त बी०एल०सी०-एन घटक के अन्तर्गत 18 जनपदों की 67 परियोजनाओं में 46,394 आवास तथा बी०एल०सी०-ई घटक के अन्तर्गत 01 जनपद की 03 परियोजनाओं में 1,304 आवासों, कुल 18 जनपदों की 70 परियोजनाओं में 47,698 आवासों की डीपीआर प्राप्त हुई है। डीपीआर तैयार करने से पूर्व समस्त लाभार्थियों का सत्यापन शासनादेश सं०-568/69-1-2019 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के बिन्दु सं०-04 के अनुसार करा लिया गया है, जिसका प्रमाण सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, झुंडा द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार कुल बी०एल०सी०-एन घटक की 79 परियोजनाओं में 57,770 आवास व बी०एल०सी०-ई घटक की 07 परियोजनाओं में 2,237 आवास, कुल 86 परियोजनाओं में 60,007 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए।

उप-समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बी०एल०सी०-ई घटक की पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में अपात्रों की संख्या अत्यधिक होने के कारण बी०एल०सी०-ई घटक की 07 परियोजनाओं में 2,237 आवासों को छोड़ते हुए बी०एल०एन०-एन घटक की 79 परियोजनाओं में 57,770 आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(Amt. in lacs)

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
BLC - N								
1	Auraiya	Achhalda NP	79	118.50	79.00	67.70	265.20	3
2	Auraiya	Atasu NP	276	414.00	276.00	236.53	926.53	3
3	Auraiya	Auraiya NPP	468	702.00	468.00	401.07	1571.07	3
4	Auraiya	Babarpur Ajitmal NP	192	288.00	192.00	164.54	644.54	3
5	Auraiya	Bidhuna NP	92	138.00	92.00	78.84	308.84	3

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
6	Auraiya	Dibiyapur NP	61	91.50	61.00	52.28	204.78	3
7	Auraiya	Phaphund NP	154	231.00	154.00	131.97	516.97	3
8	Baghpat	Baghpat NPP	933	1399.50	933.00	1220.61	3553.11	4
9	Baghpat	Baraut NPP	540	810.00	540.00	706.47	2056.47	4
10	Baghpat	Chhaprauli NP	529	793.50	529.00	692.07	2014.57	4
11	Baghpat	Doghat NP	447	670.50	447.00	584.79	1702.29	4
12	Baghpat	Rataul NP	693	1039.50	693.00	906.63	2639.13	4
13	Baghpat	Tikri NP	463	694.50	463.00	605.73	1763.23	4
14	Baghpat	Khekada NPP	650	975.00	650.00	850.37	2475.37	4
15	Barabanki	Belhara NP	915	1372.50	915.00	784.14	3071.64	3
16	Barabanki	Dariyabad NP	786	1179.00	786.00	673.59	2638.59	3
17	Barabanki	Dewa NP	111	166.50	111.00	95.12	372.62	3
18	Barabanki	Fatehpur NP	599	898.50	599.00	513.33	2010.83	3
19	Barabanki	Haidergarh NP	131	196.50	131.00	112.26	439.76	3
20	Barabanki	Nawabganj NPP	1365	2047.50	1365.00	1169.78	4582.28	3
21	Barabanki	Ramsanehighat NP	1116	1674.00	1116.00	956.39	3746.39	3
22	Barabanki	Satrikh NP	151	226.50	151.00	129.40	506.90	3
23	Barabanki	Subeha NP	464	696.00	464.00	397.64	1557.64	3
24	Barabanki	Tikait Nagar NP	618	927.00	618.00	529.61	2074.61	3
25	Barabanki	Zaidpur NP	520	780.00	520.00	445.63	1745.63	3
26	Bareilly	Nawabganj NPP	268	402.00	268.00	348.40	1018.40	4
27	Bareilly	Deoranian NP	159	238.50	159.00	206.70	604.20	4
28	Bareilly	Shergarh NP	911	1366.50	911.00	1184.30	3461.80	4
29	Bulandshahr	Aurangabad NP	978	1467.00	978.00	1279.49	3724.49	4
30	Bulandshahr	Jahangirabad NPP	1932	2898.00	1932.00	2527.58	7357.58	4
31	Bulandshahr	Dibai NPP	1258	1887.00	1258.00	1645.80	4790.80	4
32	Bulandshahr	Anoopshahr NPP	833	1249.50	833.00	1089.79	3172.29	4
33	Bulandshahr	Bhawan Bahadur Nagar NP	250	375.00	250.00	327.07	952.07	4
34	Bulandshahr	Bulandshahr NPP	2238	3357.00	2238.00	2927.91	8522.91	4
35	Bulandshahr	Kakod NP	459	688.50	459.00	600.50	1748.00	4
36	Bulandshahr	Khanpur NP	582	873.00	582.00	761.41	2216.41	4
37	Bulandshahr	Khurja NPP	2186	3279.00	2186.00	2859.88	8324.88	4
38	Bulandshahr	Naraura NP	601	901.50	601.00	786.27	2288.77	4
39	Bulandshahr	Sikandarabad NPP	935	1402.50	935.00	1223.23	3560.73	4
40	Bulandshahr	Siyana NPP	1067	1600.50	1067.00	1395.92	4063.42	4
41	Farrukhabad	Farrukhabad NPP	1976	2964.00	1976.00	1693.39	6633.39	3
42	Farrukhabad	Kampil NP	1202	1803.00	1202.00	1030.09	4035.09	3
43	Farrukhabad	Shamsabad NP	1612	2418.00	1612.00	1381.45	5411.45	3
44	Ghaziabad	Ghaziabad NN	1771	2656.50	1771.00	2316.95	6744.45	4
45	Ghaziabad	Modinagar NPP	349	523.50	349.00	456.59	1329.09	4
46	Ghaziabad	Muradnagar NPP	399	598.50	399.00	522.00	1519.50	4
47	Gorakhpur	Campirganj NP	503	754.50	503.00	653.90	1911.40	4
48	Hamirpur	Maudaha NPP	890	1335.00	890.00	1157.00	3382.00	4
49	Hamirpur	Rath NPP	700	1050.00	700.00	910.00	2660.00	4
50	Hardoi	Bilgram NPP	84	126.00	84.00	71.99	281.99	3
51	Hardoi	Pali NP	273	409.50	273.00	233.96	916.46	3

S. No.	District	ULB Name	Proposed DUs	Central Share	State Share	Beneficiary Share	Total Cost	Siesmic Zone
52	Hardoi	Sandila NPP	396	594.00	396.00	339.35	1329.35	3
53	Hardoi	Shahabad NPP	626	939.00	626.00	536.47	2101.47	3
54	Moradabad	Mahmoodpur Mafi NP	441	661.50	441.00	573.30	1675.80	4
55	Moradabad	Moradabad NN	3705	5557.50	3705.00	4816.50	14079.00	4
56	Muzaffarnagar	Miranpur NP	168	252.00	168.00	219.79	639.79	4
57	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar NPP	1240	1860.00	1240.00	1622.25	4722.25	4
58	Muzaffarnagar	Purquazi NP	357	535.50	357.00	467.05	1359.55	4
59	Pratapgarh	Dhakwa NP	269	403.50	269.00	230.53	903.03	3
60	Pratapgarh	Kunda NP	81	121.50	81.00	69.42	271.92	3
61	Pratapgarh	Ramganj NP	358	537.00	358.00	306.80	1201.80	3
62	Prayagraj	Handia NP	621	931.50	621.00	532.18	2084.68	3
63	Raebareli	Raebareli NPP	573	859.50	573.00	491.03	1923.53	3
64	Rampur	Bilaspur NPP	171	256.50	171.00	222.30	649.80	4
65	Rampur	Milak NPP	724	1086.00	724.00	941.20	2751.20	4
66	Rampur	Narpat Nagar NP	510	765.00	510.00	663.00	1938.00	4
67	Rampur	Saifni NP	1001	1501.50	1001.00	1301.30	3803.80	4
68	Rampur	Dadhya Ahtmal NP	494	741.00	494.00	642.20	1877.20	4
69	Sambhal	Babrala NP	261	391.50	261.00	339.30	991.80	4
70	Sambhal	Bahjoi NPP	662	993.00	662.00	860.60	2515.60	4
71	Sambhal	Chandausi NPP	613	919.50	613.00	796.90	2329.40	4
72	Sambhal	Narauli NP	469	703.50	469.00	609.70	1782.20	4
73	Sambhal	Sambhal NPP	2620	3930.00	2620.00	3406.00	9956.00	4
74	Sambhal	Sirsi NP	409	613.50	409.00	531.70	1554.20	4
75	Shamli	Garhi Pukhta NP	133	199.50	133.00	174.00	506.50	4
76	Shamli	Shamli NN	300	450.00	300.00	392.48	1142.48	4
77	Sant Kabir Ngr	Baghnagar Urf Bakhira NP	2664	3996.00	2664.00	3463.20	10123.20	4
78	Shravasti	Bhinga NP	842	1263.00	842.00	1094.60	3199.60	4
79	Shravasti	Ikauna NP	293	439.50	293.00	380.90	1113.40	4
Total			57770	86655.00	57770.00	68122.11	212547.11	

उक्त परियोजनाओं की कुल लागत रू0 2,12,547.11 लाख है, जिसमें केन्द्रांश रू0 86,655.00 लाख, राज्यांश रू0 57,770.00 लाख तथा लाभार्थी अंशदान रू0 68,122.11 लाख है।

अतः उपरोक्तानुसार कुल 57,770 आवासों की डीपीआर SLSMC के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु उप-समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य में नए आवासों की डीपीआर स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये:-

1. बी0एल0सी0-ई घटक के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में अत्यधिक मात्रा में लाभार्थियों के अपात्र होने के दृष्टिगत नई डीपीआर न ली जाये।
2. जनपद फिरोजाबाद एवं संत कबीर नगर में जनसंख्या के अनुपात में अत्यधिक आवासों की स्वीकृति के दृष्टिगत भविष्य में कोई नई डीपीआर न ली जाये।
3. करटेलमेन्ट/अभ्यर्पण के सापेक्ष नए आवासों की स्वीकृति हेतु नव सृजित नगर निकायों एवं वर्तमान नगर निकायों के सीमा विस्तारित क्षेत्रों से प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर प्राप्त की जाये।

नोट:-

उप-समिति द्वारा उपरोक्तानुसार Curtailment/अभ्यर्पण एवं नई डीपीआर के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश में बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत कुल आवासों की संख्या 14,78,730 है।

एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा दिनांक 17.11.2021 तक स्वीकृत आवास	14,71,010
दिनांक 17.11.2021 से अब तक प्राप्त Curtailment/अभ्यर्पण	50,050
दिनांक 17.11.2021 से अब तक प्राप्त नए आवासों की डीपीआर	57,770
उप-समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत आवासों की संख्या	14,78,730

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त बी0एल0सी0-एन की 79 परियोजनाओं में 57,770 नए आवासों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-02:-भागीदारी में किफायती आवास घटक की 05 परियोजनाओं के संशोधित अनुलग्नक-7बी की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की स्वीकृत परियोजनाओं में से 05 परियोजनाओं में सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा आवासों का आवंटन किया गया है, जिस हेतु परियोजनाओं में आवंटन के अनुसार जाति एवं लिंग के विवरण को संशोधित कर परियोजनाओं हेतु अनुलग्नक-7बी उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराते हुए एमआईएस पोर्टल पर विवरण अपडेट कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर एम0आई0एस0 पोर्टल पर निम्नलिखित परियोजनाओं के अनुलग्नक-7बी में संशोधन किया जाना है:-

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	जनपद	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवास	आवंटित आवास	सीएसएमसी सं0 एवं दिनांक
1	Aligarh Development Authority	Aligarh	Baraula Jafrabad	156	143	33 / 27-04-18
2	Hapur-Pilkhwa Development Authority	Hapur	Hindalpur	264	264	39 / 30-10-18
3	M/S The Innovators Digital Ads P. Ltd. (Prayagraj Development Authority)	Prayagraj	Yamuna Enclave	141	141	36 / 24-07-18
4	Varanasi Development Authority	Varanasi	Sai City	608	608	34 / 30-05-18
5	Varanasi Development Authority	Varanasi	Kurhua	250	250	39 / 30-10-18

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय लाभार्थियों का चयन अनिवार्य न होने के कारण पोर्टल पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय समस्त आवासों को सामान्य श्रेणी में दर्शाया जाता है। भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास आवंटन शासनादेश सं0-1022/आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में उल्लिखित वरीयता नीति के अनुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं के श्रेणीवार विवरण में आवंटित आवासों के आधार पर संशोधन किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव विभिन्न प्राधिकरणों से उपाध्यक्ष के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त हुए हैं।

अतः समिति द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधित एनेक्जर-7बी की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

संख्या:-521/69-1-2022-14(235)/2015

लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 2022

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।
16. गार्ड फाईल।

26.4.22
(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।